

कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर एवं पदेन संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

दिनांक 02/09/2015

क्रमांक/8/अ-82/2013-14 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची


जिला	तहसील	भूमि का प्रकार			धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
सूरजपुर	सूरजपुर	सूरजपुर प.ह.नं. 8	584/1	0.08	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)	रिंग रोड निर्माण
			585/5	0.20		
			983	0.04		
			985	0.04		
			986	0.06		
			990	0.10		
			837/5	0.03		
			614	0.21		
			621/3	0.15		
			616/1	0.03		
			579	0.17		
			615	0.05		
			581	0.03		
			846	0.02		
			875	0.08		
			848/1	0.03		
			964	0.10		
			837/8	0.10		
			974/1	0.03		
			994/1	0.15		
			965	0.18		
			981	0.06		
			989/3	0.09		
533/1	0.10					
1010	0.36					
589	0.16					
591/2	0.04					
848/3	0.03					
870/2	0.15					
840	0.08					
847/2	0.16					
535/1	0.23					
1009	0.09					
1007/1	0.07					
533/2	0.13					
584/2	0.04					

(Handwritten signature)


			845	0.17		
			874	0.18		
			980	0.04		
			984	0.04		
			975	0.01		
			1011	0.01		
			621/2	0.11		
			848/4	0.02		
			1013/4	0.04		
			871/1	0.04		
			1013/2	0.04		
			871/3	0.07		
			873/1	0.14		
			837/4	0.05		
			839/4	0.06		
			622	0.16		
			590/1	0.11		
			590/2	0.11		
			534	0.15		
			963	0.11		
			839/1	0.02		
			621/5	0.09		
			848/5	0.03		
			847/1	0.15		
		योग	60	5.62		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014, दिनांक 02 मार्च, 2015 के द्वारा अधिनियम, 2013 के अध्याय "दो" एवं "तीन" के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।


भू-अर्जन अधिकारी
एवं अ.वि.अ. (रा.)
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(जी.आर. चुरेन्द्र)
कलेक्टर
जिला-सूरजपुर
एवं पदेन संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग